



**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी,  
भोपाल - 462016

फोन: 0755-2463585, 2430154, फैक्स:- 0755-4004137  
ई मेल:- [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in) वैबसाईट:- [www.mperc.in](http://www.mperc.in)

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल.एण्ड.आर)/2024/1551

भोपाल, दिनांक 27/06/2024

**: सार्वजनिक सूचना :**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) के द्वितीय संशोधन के विनियम 10(ख) में निहित प्रावधान के अनुसार एतद्वारा सौर तथा पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजना पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिसूचित करना प्रस्तावित करता है।

इस प्रक्रिया को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018, मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड (पुनरीक्षण-तृतीय), 2024 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (संशोधन-प्रथम) विनियम, 2021 के साथ पढ़ा जावे। उक्त प्रक्रिया का प्रारूप आयोग की वेबसाईट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त प्रक्रिया के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को दिनांक **24.07.2024** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियां/टीप ई-मेल से [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in) पर अथवा [directorlnrmpc@gmail.com](mailto:directorlnrmpc@gmail.com) या फैक्स से फोन क्रं. **0755-4004137** पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित प्रक्रिया के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **24.07.2024** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 15/- (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/- (रु. 15/- प्रति सेट + रु. 35/- डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **30.07.2024** को प्रातः **11.00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव